फर्द अहकाम

राधेशरण बनाम राज0 सरकार

... संख्या: 13/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20.03.2024	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी की हिस्सा भूमि में नाम दुरूस्त किये जाने का पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4250/5107 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4249/5108 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4250/5110 रकबा 0.22 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रामस्वरूप पुत्र राधाकिशन व ओमप्रकाश, राधेशरण, नवीन पुत्रान रामस्वरूप, जाति महाजन सा. देह खातेदार है जिसका राजस्व रिकॉर्ड खतौनी बंदोबस्त । जुलाई 1989 से 30 जून 2009 में अंकित है। प्रार्थना–पत्र के खण्ड 1 में वर्णित भूमि की खतौनी बंदोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 में खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी का नाम राधेशरण अंकित है जो सही है, लेकिन उसके बाद की आधार वर्ष सम्वत् 2050 की जमाबन्दी में खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी का नाम राधेशरण के स्थान पर राधेश्याम अंकित कर दिया गया, जो गलत है तथा इसी अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राधेश्याम ही प्रविष्ट किया जाता रहा है, जबकि प्रार्थी का नाम राधेशरण अंकित होना चाहिए। प्रार्थी का नाम राजस्व जमाबन्दी में सहवन से राधेशरण के स्थान राधेश्याम अंकित किया गया है जो कि एक लिपिकीय त्रुटि की गई है, जिससे प्रार्थी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। उपरोक्त त्रुटि लिपिकीय भूल है जिसे न्यायालय धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दुरूस्त करवाने में सक्षम है तथा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4250/5107 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4249/5108 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4250/5110 रकबा 0.22 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम राधेश्याम के स्थान पर राधेशरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें तथा इसी प्रकार का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। शपथ पत्र संलग्न है।	

उपखण्ड अधिकारी
... (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:45 IST
Reason: SelfAttested

राधेशरण बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 13 / 2024

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पत्रावली में सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील (साल सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4250 / 5107 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4249 / 5108 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4250 / 5110 रकबा 0.22 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम राधेश्याम के स्थान पर राधेशरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें। बहस अधिवक्ता प्रार्थी व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4250 / 5107 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4249 / 5108 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4250 / 5110 रकबा 0.22 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम राधेश्याम के स्थान पर राधेशरण किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (...)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:45 IST
Reason: SelfAttested